

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-03032025-261432
SG-DL-E-03032025-261432

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2025/फाल्गुन 9, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 423
No. 71]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2025/PHALGUNA 9, 1946	[N. C. T. D. No. 423

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(श्रम विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 फरवरी, 2025

फा. सं. 1/31/1143/एलसी/स्था0/भर्ती नियम/प्रचा0अधि0/2023/6424-27.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 जीएसआर 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 20 मार्च, 1971 की अधिसूचना सं0 फा0 2(5)/71-सेवाएं-II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाए जाने के लिए की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् एतद् द्वारा श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "प्रचार अधिकारी" के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (i) इन नियमों को "प्रचार अधिकारी" भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **अनुप्रयोग -** ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर के साथ संबद्ध इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता :-** कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

6. **छूट प्रदान करने की शक्ति :-** जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इस नियम के किसी उपबंध से छूट प्रदान कर सकती है।7. **बचाव :-** इस नियमों में कोई भी बात इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।**अनुसूची**

1.	पदनाम	:	प्रचार अधिकारी
2.	पदों की संख्या	:	1 *(2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय, अराजपत्रित समूह 'ख'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रुपये)
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं।
9.	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	:	<p>प्रतिनियुक्ति :-</p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/स्वायत्त या सांविधिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों में से।</p> <p>क. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 05 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में छह वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; तथा</p> <p>(ख) निम्नलिखित योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले।</p>

		<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विषय में स्नातक उपाधि।</p> <p>(2) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त संगठन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रचार अथवा जनसंपर्क का कम से कम एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जनसंचार/जनसंपर्क/पत्रकारिता में डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा।</p> <p>मानक टोप : केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	: लागू नहीं
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
विजय चांदना, उप-श्रमायुक्त (प्रशासन)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th February, 2025

F. No. 1/31/1143/LC/Estt./Recrt. Rules/Pub.Off./2023/6424-27.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. G.S. R. 840 dated 13th July, 1959, and in supersession of Notification No. F.2(5)/71-Services-II dated 20th March, 1971, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after consultation with Union Public Service Commission is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Publicity Officer** in the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:—

1. **Short title and commencement:** i) These rules may be called the “Publicity Officer” Recruitment Rules, 2024.
ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Application:** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of post, classification and Level in the Pay Matrix.** - The number of post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.:** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.
5. **Disqualifications:** No person,
 - a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax:** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons in consultation with UPSC.

7. **Saving:** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE-I

1	Name of post	Publicity Officer
2	No. of Posts	1* (2024) * Subject to variation dependent on workload
3	Classification	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level - 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix
5	Whether selection post or non- selection	Not Applicable
6	Age limits for direct recruit	Not Applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Deputation including Short Term Contract
11	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Deputation: Officers of the Central Government/State Government/ Union territories/Autonomous or Statutory Organization/PSUs/Universities/Recognized Research Institutions:</p> <p>a) Holding analogous posts on regular basis in parent cadre/ department; or With 6 years' service in grade rendered after appointment there to on regular basis in Level-05 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>b) Possessing following qualifications and experience:</p> <p>Essentials:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bachelor's Degree in any discipline from a recognized University or Institute. 2. At least one year experience of publicity or public relations in a Government office or PSU or Statutory or autonomous organization or recognized university or institution.

		Desirable: 1. Diploma or Post Graduate Diploma in Mass Communication/ Public Relations/Journalism from a recognized University or Institute. Standard Note: The period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.
12	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition	NA
13	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with UPSC not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

VIJAY CHANDNA, Dy. Labour Commissioner (ADMN.)